	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-12-21	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी ~~[illegible]~~ है। अवकाश पर है। ~~[illegible]~~ [illegible] है। अभिभाषकगण पेन्डोलेन्स पर है। अत: पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22-02-22 को पेश हो [signature]	
22-2-22	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित प्रार्थना पत्र समझौता दाखिल होने से निर्णीत किया जाता है. विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

51 / प्रा0प0 / 2022
दायरा दिनांक 23.09.2020

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. भवंरीबाई पत्नि मूलचन्द जाति जाट निवासी नोताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. खैमराज पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी नोताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. चन्द्रप्रकाश पुत्र मूलचन्द जाति जाट निवासी नोताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. प्रेमलता पुत्री मूलचन्द पत्नि चन्द्रशेखर जाति जाट निवासी करिरिया श्योपुर मध्यप्रदेश।
5. भागवति पुत्री मूलचन्द पत्नि अर्जुनसिंह जाति जाट निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0।
6. मीना पुत्री मूलचन्द पत्नि सुरेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी विज्ञान नगर कोटा जिला कोटा राज0।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. रामगोपाल बालिग भवंरलाल जाति जाट निवासी नोताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. बद्रीलाल बालिग पुत्र भंवरलाल जाति जाट निवासी नोताडा हाल निवास 19/75 माउन्ट कार्मशल स्कुल के पास कृष्णानगर रगंबाडी कोटा जिला कोटा।
3. राज0 राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

– अप्रार्थीगण

वाद अर्न्तगत धारा 128 एल0आर0एक्ट।

उपस्थित :– 1. एडवोकेट बालकिशन रायका (प्रार्थीगण)
2. एडवोकेट अब्दुल सत्तार(अप्रार्थीगण).

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

Reader check 2

–: निर्णय :–

दिनांक :– 22.02.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या 411 नयी ,पुरानी 147 के खसरा संख्या 1094/317 रकबा 0.64 हैक्ट0, खसरा संख्या 1096/328 रकबा 0.93 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्ट0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम नोताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में विरिथत है।जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण खातेदार कृषक दर्ज है प्रार्थीगण ने अपनी उक्त कृषि भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 10.08.2020 को अप्रार्थीगण की उपस्थिति में कराया गया था।वक्त सीमाज्ञान के पडौसी खातेदार अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 1095/328 रकबा 1.57 हैक्ट0, खसरा नं0 1093/317 रकबा 1.57 हैक्ट0 में प्रार्थीगण की कुछ भूमि का सीमाचिन्ह आया था।सीमाचिन्हों को लगाने पर अप्रार्थीगण व्यवधान पैदा करते है इसलिए प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाचिन्हों को अकिंत करवाया जाना आवश्यक है।अतः प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमाओं पर पथरगढी करवाये जाने के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाकर पथरगढी के आदेश फरमाये जावे।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के जवाब में कोई खण्डनात्मक जवाब पेश नही किया गया प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वंत 2074 से 2077, नक्शा ट्रेश दिनांक 10.08.2020 को कराया गया सीमाज्ञान रिर्पोट की सत्यापित प्रति अप्रार्थीगण की नकल जमाबन्दीयां पेश की है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुयें कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान कराया जा चुका है।किन्तु अप्रार्थीगण सीमांकन चिन्हों को लगाने में व्यवधान पैदा करते है।और अन्त में निवेदन किया कि विवादित सीमा पर पथरगढी करवाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमारे द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया तथा अवलोकन किया गया।पत्रावली पर उपलब्ध फर्द सीमाज्ञान दिनांक 10.08.2020 की सत्यापित प्रति से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान कराया गया था।अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रार्थनापत्र साक्ष्य शपथ पत्र पेश नही करने से एवं प्रार्थनापत्र का खण्डन नही होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाता है।तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की आराजी खाता संख्या 411 नयी ,पुरानी 147 के खसरा संख्या 1094/317 रकबा 0.64 हैक्ट0, खसरा संख्या 1096/328 रकबा 0.93 हैक्ट0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.57 हैक्ट0 किस्म नहरी द्वितीय वाके ग्राम नोताडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में विरिथत कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमांकन कर सीमाओं का निर्धारण करते हुये सीमाचिन्ह अकिंत करवाकर मौके पर पथरगढी करवाई जावे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 22.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner